



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में नगर निगम का कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 17 दिसम्बर/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये शिवम भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) नगर निगम, उदयपुर को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बनवाने के आवेदन करने के उपरांत भवन का मौका रिपोर्ट करने की एवज में शिवम भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) नगर निगम, उदयपुर द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये शिवम भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) नगर निगम, उदयपुर को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी उदयपुर के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।